... हेतु तारीख 22.4.22 को पेश हो।

22.4.22	पत्रावली लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प विनोदपुरी में पेश हुई। वकील वादी उप.। प्रति. क्र. 1 व 2 की ओर से नाथूलाल नागर ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रति. क्र. 1 व 2 स्वयं उप. हैं तथा उनके द्वारा राजीनामा पेश किया गया। वादी की पहचान वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। राजीनामा पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की। प्रति. क्र. 3 प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है। मेरे द्वारा पत्रावली का [illegible]	प्र 2 [illegible] [signature] नि. अ. मंगलीबाई नि. अ. [illegible]बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से
दावेदारी साक्ष्य, नकल जमाबंदी प्रमाण
हेतु है, उत्तराधिकार अधिकारी प्रेषित
द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एवं खाली नाके से
अप्रमाणित होता है किन्तु के इनके वाद पत्र
में जो कागज पत्र मिले है वे गलत है, ऐसी
स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया
जाना उचित प्रतीत होने से अतः ऐसी
से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है, विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
किया जाता।

पत्रावली में फैसला शुमार दाखिल दफ्तर
तहसीलदार टोडाभीम (हो)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 44 / 2022 तारीख दायरा 21.04.2022

उनवान

प्रभुलाल पुत्र बद्रीलाल उर्फ किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम ढाबला उर्फ कल्याणपुरा तहसील अन्ता जिला बारां। – वादी

बनाम

1. भंवरी बाई बेवा स्व. बद्रीलाल पत्नि देवलाल जाति माली निवासी ग्राम बडवा तहसील अंता जिला बारां।
2. बनास बाई पुत्री बद्रीलाल उर्फ किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम ढाबला उर्फ कल्याणपुरा तहसील अन्ता जिला बारां।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट</u>

उपस्थित :– दिनांक :– 22.04.2022

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी)

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादीगण)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के [illegible] इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एंव प्रतिवादी [illegible] के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम रा[illegible] में नई 304 के ख.न. 521 की 0.78 है., ख.न. 522 की 0.22 है. कुल 2 कि[illegible] की कुल 1.00 है. आराजी स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

...एवं खाता सं. नई 85 के ख.न. 176 कह 0.23 है., ख.न. 177 की 0.67 है., ख.न. 180 की 0.45 है., ख.न. 46 की 0.20 है., ख.न. 47 की 1.47 है., ख.न. 48 की 0.04 है., ख.न. 496 की 0.13 है., ख.न. 497 कह 0.01 है., ख.न. 498 कह 0.02 है. कुल 9 किता की कुल 3.22 है. आराजी स्थित है, जिस पर काफी समय से वादी ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी में वादी के पिता बद्रीलाल उर्फ किशनलाल की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल खुलकर राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम दर्ज हो गया है। राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम बद्रीलाल दर्ज है जबकि गांव में उनका बोलचाल नाम किशनलाल होने से उनको किशनलाल के नाम से भी जाना जाता है। वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र किशनलाल के नाम से बना हुआ है। जिसके आधार पर ही इन्तकाल की कार्यवाही होकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है। इस प्रकार वादी के पिता के नाम में भिन्नता होने से वादी को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता के नाम में भिन्नता होने के कारण किसी प्रकार का राजकीय लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 की माता प्रतिवादी सं. 2 भंवरी बाई का बद्रीलाल उर्फ किशनलाल के स्वर्गवास होने के बाद लगभग 40 वर्ष पूर्व ग्राम बडवा तहसील अंता निवासी देवलाल से नाता विवाह कर लिया है जो उक्त समय से देवलाल के साथ पत्नि का दायित्व निभाते हुए परिवार में निवास कर रही है। ऐसी स्थिति में नाता विवाह करने के बाद भी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 भंवरी बाई का नाम दर्ज चला आ रहा है जिसको हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उक्त संबंध में वादी ने राजकीय कर्मचारियों से संपर्क करके उक्त त्रुटि को दुरस्त करने के लिए निवेदन किया एवं उन्होंने कहा कि सक्षम राजस्व न्यायालय में कार्यवाही करके रेकार्ड दुरस्त करवाया जा सकता है जिससे माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादर पारित फरमाई जावे कि 7

माल ग्राम राजगढ तहसील सांगोद के खाता सं. नई 304 की 2 किता की 1.00 है. एवं खाता सं. नई 85 की 9 किता की कुल 3.22 है. आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम बद्रीलाल उर्फ किशनलाल दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे। प्रतिवादी सं. 1 भंवरी बाई का नाम वादग्रस्त आराजी से हटाया

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested

जाकर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में समान रूप से समाहित करने की घोषणा की डिक्री पारित की जावे। उक्तानुसार इन्द्राज दुरस्त किया जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 22.4.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प विनोदखुर्द सांगोद में रखी गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री नाथूलाल नागर द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। इसके बाद पक्षकारान ने कैम्प में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनाम खुलेआम पढकर सुनाया गया। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा तस्दीक करने के बाद अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने राजीनामे के आधार पर वाद पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। वादी ने सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी चहेडिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार वादी के पिता बद्रीलाल एवं किशनलाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रतिवादी सं. 3 प्रकरण में फार्मल पक्षकार है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, नकल जमाबंदी, राजस्व रेकार्ड, ग्राम विकास अधिकारी चहेडिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राजीनामे से यह जाहिर होता है कि वादी ने उनके वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम राजगढ तहसील सांगोद में खाता सं. नई 304 के ख.न. 521 की 0.78 है., ख.न. 522 की 0.22 है. कुल 2 किता की कुल 1.00 है. आराजी एवं खाता सं. नई 85 के ख.न. 176 कह 0.23 है., ख.न. 177 की 0.67 है., ख.न. 180 की 0.45 है., ख.न. 46 की 0.20 है., ख.न. 47 की 1.47 है., ख.न. 48 की 0.04 है., ख.न. 496 की 0.13 है., ख.न. 497 कह 0.01 है., ख.न. 498 कह 0.02 है. कुल 9 किता की कुल 3.22 है. आराजी में प्रतिवादी सं. 1 [illegible] का नाम हटाया जाकर उसके हिस्से की आराजी को वादी एवं प्रतिवादी [illegible] समान रूप से समाहित किया जावे। उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 [illegible] पिता का नाम दुरस्त कर बद्रीलाल उर्फ किशनलाल दर्ज किया जावे। उक्त घोषणा [illegible] अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद